रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112023-249966
CG-DL-E-09112023-249966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2023/कार्तिक 18, 1945
No. 648]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2023/KARTIKA 18, 1945

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 828(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा लोकपाल नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: — (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, **2023** है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा लोकपाल नियम, **2017** (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम **7** के उप नियम **2** में,

   (i) खंड (ख) और खंड (ग) में 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' शब्दों के स्थान पर 'वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो' शब्द रखे जाएंगे;

   (ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

   'स्पष्टीकरण. — इस उप नियम में "वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो" पद से वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा 1 जुलाई, 2022 के संकल्प फा. सं. 14/1/2022-बीओ-I के माध्यम से गठित निकाय अभिप्रेत है'।

3. मूल नियमों के नियम 8 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि बीमा लोकपाल पद त्याग के आशय के बारे में तीन मास के वेतन के स्थान पर कम से कम नब्बे दिन की लिखित में पूर्व सूचना बीमा लोकपाल परिषद को देकर पद त्याग सकेगा; यदि नोटिस अवधि की अंतिम तारीख शनिवार या रविवार या अवकाश हो तो बीमा लोकपाल को अगले कार्यदिवस के दिन कार्यमुक्त किया जाएगा।

परंतु यह भी कि बीमा लोकपाल परिषद अपने विवेकानुसार नोटिस से अंशत: या पूर्ण छूट दे सकेगा"।

4. मूल नियमों के नियम 10 में, उप नियम (1) में "और कोई पेंशन जिसका वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त करने का हकदार है, को उसके वेतन में से घटाया जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. मूल नियमों के नियम 16 में, पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

"बीमा लोकपाल द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से निपटायी गई शिकायतें।"

6. मूल नियमों के नियम 17 में, -

(i) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उप नियम (1) के अधीन पारित अधिनिर्णय लिखित में, ऐसे अधिनिर्णय पारित किए जाने के कारणों सहित बीमा लोकपाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से या डिजिटली हस्ताक्षरित होगा।"

(ii) उप नियम (3) के परंतुक में, खंड (ii) में 'तीस' शब्द के स्थान पर 'पचास' शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. एस-14014/12/2022-बीमा I]

मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 27 अप्रैल, 2017, में सा.का.नि. 413(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 785(अ), तारीख 17 अगस्त, 2018 (20 अगस्त, 2018 को प्रकाशित), सा.का.नि. 147(अ), तारीख 2 मार्च, 2021 और अंतिम रूप से सा.का.नि. 334(अ), तारीख 18 मई, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2023

G.S.R. 828(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insurance Ombudsman Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement: — (1) These rules may be called the Insurance Ombudsman (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Ombudsman Rules, 2017 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 7, in sub-rule 2, —

(i) in clauses (b) and clause (c), for the words 'Bank Board Bureau', the words 'Financial Services Institutions Bureau' shall be substituted;

(ii) for explanation, the following Explanation shall be substituted, namely: —

'Explanation. —In this sub-rule, the expression "Financial Services Institutions Bureau" means the body constituted by the Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Resolution F. No. 14/1/2022-BO-I, dated the 1st July, 2022.'.

3. In the principal rules, in rule 8, after the provisos, the following provisos shall be inserted, namely: —

"Provided further that the Insurance Ombudsman may resign by giving prior notice in writing of not less than ninety days in lieu of three months' salary, to the Council for Insurance Ombudsmen, informing his intention to resign;

in case the last date of notice period falls on Saturday or Sunday or holiday, the Insurance Ombudsman shall be relieved on the next working day.

Provided also that the Council for Insurance Ombudsmen reserves the right to waive the notice in part or in full at its discretion.”.

4. In the principal rules, in rule 10, in sub-rule (1), the words “and any pension to which he is entitled from the Central Government or a State Government shall be deducted from his salary” shall be omitted.

5. In the principal rules, in rule 16, for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: —

“Complaint settled through mediation by Insurance Ombudsman.”.

6. In the principal rules, in rule 17, -

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(2) The award passed under sub-rule (1) shall be in writing, duly signed in person or digitally by the Insurance Ombudsman with reasons for passing such award.”.

(ii) in sub-rule (3), in the proviso, in clause (ii), for the word ‘thirty’, the word ‘fifty’ shall be substituted.

[F. No. S-14014/12/2022-Ins.I]

MUKESH KUMAR BANSAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th April, 2017, vide G.S.R. 413 (E), dated the 25th April, 2017 and were subsequently amended vide G.S.R. 785(E) dated the 17th August, 2018 (published on 20th August, 2018), G.S.R. 147(E) dated the 2nd March, 2021 and lastly vide G.S.R. 334(E) dated the 18th May, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.09 19:15:04 +05'30'